

[2023] 4 एस. सी. आर 480

/

[2023] 4 एस सी आर।

/

रेविंदर सिंह

बनाम

राज्य सरकार। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (2023 की आपराधिक अपील संख्या 1031)

/

25 अप्रैल, 2023

[अभय एस. ओका और संजय कुमार, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा. 432-दंड संहिता, 1860-एस. एस.45, 53 – एक संशोधित दंड अधिरोपित करने की शक्ति-14 वर्ष से अधिक के आजीवन कारावास की विशेष श्रेणी की सजा-अपीलार्थी को अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था।376, 377, 506 और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई-निचली अदालत ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को कम से कम 20 साल जेल में बिताने से पहले राज्य द्वारा कोई दया नहीं दी जानी चाहिए-उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी-अपील पर कहा गया:यह तय किया जाता है कि ऐसे निर्दिष्ट अपराधों के लिए दंड संहिता में दी गई सजा के भीतर एक संशोधित सजा देने की शक्ति का उपयोग केवल उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और आगे की अपील की स्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और देश के किसी अन्य न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है-इस तय कानूनी स्थिति के आलोक में, यह स्पष्ट रूप से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में नहीं था कि वह यह प्रतिबंध लगाए कि अपीलार्थी की आजीवन कारावास की अवधि कम से कम 20 साल के लिए होनी चाहिए और तब तक उसे कोई दया नहीं दी जानी चाहिए-ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता था-तत्काल मामले में, बच्चे के पिता द्वारा अगस्त, 2012 के महीने के दौरान बलात्कार किया गया था, इसलिए संशोधित प्रावधान एस।376(2)(च) और एस।376(3) इसकी कोई भूमिका नहीं है-अब, विधि द्वारा निर्धारित अधिकतम सजा आजीवन कारावास है और आगे कुछ भी नहीं-ऐसे मामलों में भी, यह न्याय की पैरोडी होगी कि इस तरह की सजा पाए गए दोषियों को राज्य द्वारा उदारता से दिए गए छूट और इसी तरह के अन्य लाभों का लाभ उठाने की अनुमति दी जाए, और उनकी आजीवन कारावास की अवधि को घटाकर केवल 14 साल कर दिया जाए-उच्च न्यायालय ों के लिए एक लंबी अवधि तय करके 14 साल से अधिक

के आजीवन कारावास की विशेष श्रेणी की सजा उपलब्ध होगी और यह न्यायालय , उन मामलों में भी जहां अधिकतम सजा, विधि में अनुमेय और विधिवत लागू, आजीवन कारावास है और आगे कुछ नहीं-इस तरह की शक्ति का प्रयोग गंभीर मामलों तक ही सीमित होना चाहिए-इसमें अपीलकर्ता को सबसे राक्षसी और भयानक अपराधों में से एक का दोषी पाया गया था।

/

/

/

/

/

/

480 ए.

481

रविंदर सिंह बनाम राज्य सरकार। दिल्ली ए. एन. सी. टी.

अपीलार्थी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या किसी अन्य अधिनियमित विधि -भारत का संविधान-कला के प्रावधानों के अंतर्गत छूट की मांग करने से पहले कम से कम 20 साल के वास्तविक कारावास के लिए आजीवन कारावास की सजा काटने का निर्देश दिया गया है।⁷² और 161।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

/

अभिनिर्धारित किया :**1.** स्वामी श्रद्धानंद में लिए गए विचार को दृढ़ करते हुए, वी. श्रीहरण में बहुमत की राय ने कहा कि यह बिना किसी विवाद की गुंजाइश के कहा जा सकता है कि जब एक विस्तृत विश्लेषण के बाद न्यायिक निर्णय के माध्यम से, किए गए अपराध की आनुपातिकता को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया जाता है कि अपराधी को आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए, यानी, अपने जीवन के अंत तक या **20** साल या **30** साल या **40** साल की एक विशिष्ट अवधि के लिए, ऐसा निष्कर्ष बिना किसी रुकावट के जीवित रहना चाहिए। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि दंड प्रक्रिया संहिता के साथ पठित दंड संहिता में कानूनी रूप से उपबंधित दंड, बिना किसी व्यवधान के कार्य करता है, संबंधित न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को न्यायालय को, सार्वजनिक हित के साथ-साथ बड़े पैमाने पर समाज के हित में, यह सुनिश्चित करने के लिए

सशक्त बनाना चाहिए कि ऐसी सजा लागू होगी, जैसा कि लगाया गया है, यह कहते हुए कि इस तरह के अधिरोपण को रद्द करने के लिए कोई छूट या अन्य उदार दृष्टिकोण प्रभावी नहीं होना चाहिए। यह भी कहा गया कि दंड संहिता में या उस मामले में किसी भी प्रावधान के लिए जहां मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है, कोई निषेध निर्धारित नहीं है कि उक्त जीवन अवधि के भीतर एक विशिष्ट अवधि के लिए कारावास नहीं लगाया जा सकता है और जब आजीवन कारावास का अर्थ दोषी व्यक्ति का पूरा जीवनकाल है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस न्यायालय को उक्त सजा देने का अधिकार है, वह उस अवधि को निर्दिष्ट नहीं कर सकता है जब तक कि उक्त आजीवन कारावास अपराध की प्रकृति के अनुरूप बनी रहे। इसलिए, बहुमत ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि स्वामी श्रद्धानंद में निर्धारित अनुपात, कि मौत के बजाय सजा की एक विशेष श्रेणी को आजीवन कारावास या **14** साल से अधिक की अवधि के लिए सजा से प्रतिस्थापित किया जा सकता है और उस श्रेणी को छूट के आवेदन से परे रखा जा सकता है, अच्छी तरह से स्थापित है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए दंड संहिता में उपबंधित दंड के भीतर संशोधित दंड अधिरोपित करने की शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

/

/

/

/

/

/

482 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 4 एस. सी. आर.

न्यायालय और आगे की अपील की स्थिति में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, न कि देश के किसी अन्य न्यायालय द्वारा। [पैरा **9**] [486-जी-एच; 487-ए-डी]

2. इस तथे कानूनी स्थिति के आलोक में, यह स्पष्ट रूप से यह प्रतिबंध लगाने के लिए विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में नहीं था कि अपीलार्थी की आजीवन कारावास की अवधि कम से कम **20** साल के लिए होनी चाहिए और तब तक उसे कोई दया नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय या इस न्यायालय द्वारा किया जा सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित सजा की पुष्टि की, लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त नहीं की गई शक्ति के खोखले प्रयोग की केवल पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा एक स्वतंत्र अभ्यास के रूप में योग्य नहीं है और कानूनी आवश्यकता के संदर्भ में पर्याप्त नहीं होगी। यह केवल उच्च न्यायालय या यह

न्यायालय है जिसके पास अपराध की प्रकृति और इसकी गंभीरता के आधार पर विशेष श्रेणी की सजा का सहारा लेने की शक्ति होगी। इस हद तक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई सजा बिना किसी कानूनी आधार के थी। [पैरा 10] [487-ई-जी]

/

/

/

3. अवलोकन उन मामलों में एक ही सिद्धांत की प्रयोज्यता को प्रकट करते हैं जहां विधि द्वारा निर्धारित अधिकतम सजा आजीवन कारावास है जिसमें आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे मामलों में भी, यह न्याय की पैरोडी होगी कि इस तरह की सजा पाए दोषियों को राज्य द्वारा उदारतापूर्वक प्रदान की गई छूट और इसी तरह के अन्य लाभों का लाभ उठाने की अनुमति दी जाए और उनकी आजीवन कारावास की सजा को घटाकर केवल **14** साल कर दिया जाए। स्वामी श्रद्धानंद और वी. श्रीहरण में एक लंबी अवधि निर्धारित करके **14** वर्ष से अधिक की आजीवन कारावास की विशेष श्रेणी की सजा के संबंध में निर्धारित विधि उच्च न्यायालय ों के लिए उपलब्ध होगा और यह न्यायालय उन मामलों में भी उपलब्ध होगा जहां अधिकतम सजा, विधि में अनुमेय और विधिवत अधिरोपित, आजीवन कारावास है जिसमें आगे कुछ नहीं है। हालाँकि, इस तरह की शक्ति का प्रयोग गंभीर मामलों तक ही सीमित होना चाहिए, जहाँ आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी को **14** साल की अवधि के बाद रिहाई की अनुमति देना ऐसे दोषी पर लगाए गए दंड को तुच्छ बनाने के समान होगा। [पैरा 15] [491-जी-एच; 492-ए-बी] ए

/

/

/

/

/

रविंदर सिंह बनाम राज्य सरकार। दिल्ली ए. एन. सी. टी.

4. न्याय के उद्देश्यों को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाएगा यदि अपीलार्थी का आजीवन कारावास कम से कम **20** वर्षों के वास्तविक कारावास के लिए है, इससे पहले कि वह दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** या किसी अन्य अधिनियमित विधि के प्रावधानों के अंतर्गत छूट की मांग कर सके। [पैरा 17] [492-एफ]

मारु राम बनाम भारत संघ **(1981) 1 एस. सी. सी. 107:[1981] 1 एस. सी. आर. 1196;** भारत संघ बनाम वी. श्रीहरण उपनाम

/

मुरुगन और अन्य (2016) 7 एससीसी 1:[2015] 14 एस. सी. आर. 613-अनुसरण किया गया।

गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. **1961 एस. सी. 600;** स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य

/

(2008) 13 एससीसी 767:[2008] 11 एससीआर 93; गौरी शंकर बनाम पंजाब राज्य (2021) 3 एससीसी 380; शिव कुमार @

शिवा @शिवमूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य **2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 345;** मदन गोपाल कक्कड़ बनाम नवल दुबे

और दूसरा (1992) 3 एस. सी. सी. 204:[1992] 2 एस. सी. आर. 921-संदर्भित।

/

संदर्भित निर्णय

[1981] 1 एससीआर 1196

पीछा किया।

पैरा **7**

[2015] 14 एससीआर 613

पीछा किया।

पैरा **7**

/

[2008] 11 एससीआर 93

संदर्भित

पैरा **8**

(2021) 3 एससीसी 380

संदर्भित

पैरा 13

[1992] 2 एससीआर 921

संदर्भित

पैरा 16

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 1031।

/

2014 के सी. आर. एल. ए. संख्या 1509 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 01.09.2017 के निर्णय और आदेश से।

सुधीर नागर, दिग्विजय चौधरी, विक्रान्त मेहता, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

सुश्री सोनिया माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिषेक सिंह, बी. के. सतीजा, सुश्री सुहासिनी सेन, डॉ. एन. विशाखमूर्ति, सिमरजीत सिंह सलूजा, दिविक माथुर, निखिल चंद्र जैसवाल, श्रीकांत नीलप्पा तेरदल, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

/

/

[2023] 4 एस सी आर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय कुमार, जे।

1. कायरतापूर्ण और सबसे अपमानजनक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई-अपनी ही 9 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार, अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष है।

/

2. सत्र मामला सं. 1 में दिनांकित 18.02.2013 के निर्णय द्वारा। 2013 का 1, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष त्वरित अदालत), द्वारका अदालत, नई दिल्ली ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376,377 और 506 के अंतर्गत दोषी ठहराया। आई. डी. 1 दिनांकित सजा के आदेश द्वारा, अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 के अंतर्गत आजीवन कारावास और 25,000/- के जुर्माने का भुगतान; भारतीय दंड संहिता सी.

की धारा 377 के अंतर्गत आजीवन कारावास और 25,000/- के जुर्माने का भुगतान; और भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 506 के अंतर्गत 2 साल के लिए कठोर कारावास के साथ-साथ 10,000/- के जुर्माने का भुगतान किया गया था। जुर्माने के भुगतान में चूक के लिए कारावास की अवधि और बढ़ जाती थी। इसके अलावा, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि अपीलार्थी को कम से कम 20 साल जेल में बिताने से पहले राज्य द्वारा कोई दया नहीं दी जानी चाहिए। अपील में, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने 2014 की अपराधिक अपील संख्या 1509 में दिनांक 1 के निर्णय के माध्यम से अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति द्वारा यह अपील। 3. दिनांक 19.03.2018 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने केवल सजा के प्रश्न पर राज्य को नोटिस जारी किया।

/

/

/

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री सुधीर नागर और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री सोनिया माथुर को सुना। 5. चूंकि इस अपील का दायरा अपीलार्थी पर लगाए गए दंड तक ही सीमित है, इसलिए हमें भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376, 377 और 506 के अंतर्गत अपराधों के लिए उसकी दोषसिद्धि के गुण-दोष के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर विस्तार करने या उनसे निपटने की आवश्यकता नहीं है।

/

6. दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 (2) में संशोधन से पहले खंड (ए) से (जी) शामिल थे। धारा 376 (2) (च), जैसा कि तब था, में प्रावधान किया गया था कि जो कोई भी 12 वर्ष से अंतर्गत आयु की महिला के साथ बलात्कार करता है, उसे कठोर कारावास की सजा दी जाएगी जो 10 वर्ष से अंतर्गत नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन हो सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी। भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 377 में कहा गया है कि जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता है।

/

/

/

रविंदर सिंह बनाम राज्य सरकार। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र [संजय कुमार, जे.] ए.

आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। यह भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 (2) (एफ) और 377 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए था कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, क्योंकि पीड़ित की आयु केवल 9 वर्ष थी और उसे प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संभोग के अधीन भी किया गया था। हालाँकि, उन्होंने कहा कि अपीलार्थी को राज्य द्वारा तब तक क्षमादान नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि वह कम से कम 20 साल जेल में न बिता ले। वास्तव में, अपीलार्थी को न्यूनतम 20 वर्ष की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

/

7. भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 45 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 53 के संदर्भ में आजीवन कारावास का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत और धारा 432 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत प्रदान किए गए माफी का दावा करने के अधिकार आदि के अधीन कैदी के शेष जीवन के लिए कारावास।

/

विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य 1, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि

आजीवन कारावास की सजा, प्रथम दृष्टया, दोषी की पूरी शेष अवधि के लिए कारावास के रूप में मानी जानी चाहिए।

/

व्यक्ति का प्राकृतिक जीवन। मारु राम बनाम भारत संघ 2 में, एक संविधान

पीठ ने इस विचार का समर्थन किया और पुष्टि की कि आजीवन कारावास आजीवन कारावास से कम नहीं है और यह अंतिम सांस तक चलेगा। एक बार फिर,

भारत संघ बनाम वी. श्रीहरण उर्फ मुरुगन और अन्य 3, एक अन्य

संविधान पीठ ने दोहराया कि आजीवन कारावास का अर्थ है दोषी को शेष जीवन के लिए कारावास।

/

8. हालाँकि, वास्तविक व्यवहार में, यह पाया जाता है कि धारा 433 के संदर्भ में आजीवन कारावास की सजा केवल 14 साल की अवधि के लिए होती है और यह उस अपराध की गंभीरता के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त साबित हो सकती है जिसके लिए दोषी को इस तरह की सजा सुनाई गई थी। स्वामी में

/

श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य **4**, इस न्यायालय ने नोट किया कि दिन

एक कैदी द्वारा अर्जित माफी को सजा की अवधि को पूरा करने के लिए उसके वास्तविक कारावास की अवधि में जोड़ा जाता है और फिर जो प्रश्न उठता है वह यह है कि इस तरह की माफी को आजीवन कारावास पर कैसे लागू किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से माफी की अनुज्ञात जाती है वह केवल कारावास की एक निश्चित अवधि पर लागू हो सकती है और आजीवन कारावास, जो शेष जीवन के लिए है, स्वभाव से अनिश्चित है। यह देखा गया कि कर्नाटक और बिहार राज्यों में आजीवन कारावास के दोषियों को 'मानित' धर्मांतरण द्वारा छूट दी जाती है

/

1 ए. आई. आर 1961 एस. सी. 600 2 (1981) 1 एस. सी. सी. 107 3 (2016) 7 एस. सी. सी. 1

/

4 (2008) 13 एस. सी. सी. 767

486

/

[2023] 4 एस सी आर।

राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यकारी आदेशों द्वारा 20 वर्ष की एक निश्चित अवधि में आजीवन कारावास की सजा, इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक लंबी कतार के बावजूद, और इस तरह के पाठ्यक्रम को मंजूरी देने के लिए विधि का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। यह बताया गया कि आजीवन कारावास के दोषियों को छूट दी जाती है और बिना किसी ठोस कानूनी आधार के 14 साल की अवधि पूरी करने पर जेल से रिहा कर दिया जाता है, और कोई भी सुरक्षित रूप से यह मान सकता है कि अन्य राज्यों में स्थिति बेहतर नहीं होगी। इसलिए, इस न्यायालय ने इस तथ्य पर न्यायिक ध्यान दिया कि आजीवन दोषियों को दोषी के किसी भी सामाजिक या मानसिक मूल्यांकन के बिना और समाज पर किसी विशेष दोषी की शीघ्र रिहाई के प्रभाव के रूप में उचित मूल्यांकन के बिना सबसे यांत्रिक तरीके से छूट की अनुज्ञात है। इस न्यायालय ने यह भी नोट किया कि छूट का अनुदान नियम है और छूट से इनकार किया जाता है, कोई कह सकता है, दुर्लभतम मामलों में। इस पहली का सामना करते हुए, उस मामले में मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करते हुए, इस न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। यह देखा गया कि यदि विकल्प केवल दो दंडों तक सीमित है-एक, सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए आजीवन कारावास की सजा, 14 वर्ष से अधिक नहीं, और दूसरा, मृत्यु, तो न्यायालय प्रलोभन महसूस कर सकता है और खुद को मृत्युदंड का समर्थन करने के लिए प्रेरित कर सकता है और ऐसा पाठ्यक्रम वास्तव में विनाशकारी होगा। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि विकल्पों का विस्तार करना और उन

विकल्पों को अपने हाथ में लेना कहीं अधिक न्यायसंगत, उचित और उचित होगा, जो वास्तव में, कानूनी रूप से न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, अर्थात् 14 वर्ष के कारावास और मृत्यु के बीच का विशाल अंतराल, और इसके स्थान पर आजीवन कारावास या 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मृत्युदंड की सजा और इसके अलावा, यह निर्देश देना कि दोषी को अपने शेष जीवन के लिए या आदेश में निर्दिष्ट वास्तविक अवधि के लिए, जैसा भी मामला हो, जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए। इस बात पर जोर दिया गया कि न्यायालय मुख्य रूप से इस विस्तारित विकल्प का सहारा लेगा क्योंकि मामले के तथ्यों में 14 साल के कारावास की सजा किसी भी सजा के बराबर नहीं होगी।

/

/

/

/

/

9. स्वामी श्रद्धानंद (ऊपर) में लिए गए विचार की पुष्टि करते हुए, वी. श्रीहरण (ऊपर) में बहुमत की राय में कहा गया है कि यह बिना किसी विवाद की गुंजाइश के कहा जा सकता है कि जब एक विस्तृत विश्लेषण के बाद न्यायिक निर्णय के माध्यम से, किए गए अपराध की आनुपातिकता को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया जाता है कि अपराधी को आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए, यानी, अपने जीवन के अंत तक या 20 साल या 30 साल या 40 साल की एक विशिष्ट अवधि के लिए, ऐसा निष्कर्ष बिना किसी रुकावट के जीवित रहना चाहिए। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि दंड प्रक्रिया संहिता के साथ पठित दंड संहिता में कानूनी रूप से उपबंधित दंड 'क' का संचालन करता है।

/

/

487

रविंदर सिंह बनाम राज्य सरकार। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र [संजय कुमार, जे.] ए.

बिना किसी व्यवधान के, संबंधित न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को न्यायालय को, सार्वजनिक हित के साथ-साथ बड़े पैमाने पर समाज के हित में, यह सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए कि ऐसा दंड लागू होगा, जैसा कि लगाया गया है, यह कहते हुए कि इस तरह के अधिरोपण को रद्द करने के लिए कोई छूट या अन्य उदार दृष्टिकोण प्रभावी नहीं होना चाहिए। यह भी कहा गया कि दंड संहिता में या उस मामले में किसी भी प्रावधान के लिए जहां

मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है, कोई निषेध निर्धारित नहीं है कि उक्त जीवन अवधि के भीतर एक विशिष्ट अवधि के लिए कारावास नहीं लगाया जा सकता है और जब आजीवन कारावास का अर्थ दोषी व्यक्ति का पूरा जीवनकाल है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस न्यायालय को उक्त सजा देने का अधिकार है, वह उस अवधि को निर्दिष्ट नहीं कर सकता है जब तक कि उक्त आजीवन कारावास अपराध की प्रकृति के अनुरूप बनी रहे। इसलिए बहुमत की राय ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि

/

/

स्वामी श्रद्धानंद (ऊपर) में निर्धारित अनुपात, कि एक विशेष

सजा की श्रेणी, मृत्यु के बजाय, आजीवन कारावास या 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा द्वारा प्रतिस्थापित की जा सकती है और उस श्रेणी को छूट के आवेदन से परे रखा जा सकता है, अच्छी तरह से स्थापित है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे विनिर्दिष्ट अपराधों के लिए दंड संहिता में उपबंधित दंड के भीतर संशोधित दंड अधिरोपित करने की शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय द्वारा और आगे की अपील की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, न कि देश के किसी अन्य न्यायालय द्वारा।

/

/

10. इस तथ्य कानूनी स्थिति के आलोक में, यह स्पष्ट रूप से यह प्रतिबंध लगाने के लिए विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में नहीं था कि अपीलार्थी की आजीवन कारावास की अवधि कम से कम 20 साल के लिए होनी चाहिए और तब तक उसे कोई दया नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय या इस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित सजा की पुष्टि की, लेकिन विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त शक्ति के खोखले प्रयोग की केवल पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा एक स्वतंत्र अभ्यास के रूप में योग्य नहीं है और कानूनी आवश्यकता के संदर्भ में पर्याप्त नहीं होगी। यह केवल उच्च न्यायालय या यह न्यायालय है जिसके पास अपराध की प्रकृति और इसकी गंभीरता के आधार पर विशेष श्रेणी की सजा का सहारा लेने की शक्ति होगी। इस हद तक, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई सजा, इसलिए, बिना किसी कानूनी आधार के थी।

/

/

11. यह कहा जा रहा है कि तथ्य अभी भी बना हुआ है कि अपीलार्थी को सबसे जघन्य अपराधों का दोषी ठहराया गया था, अपने ही छोटे का बलात्कार

[2023] 4 एस सी आर।

बेटी। यह विश्वास और विश्वास कि एक युवा लड़की अपने पिता में आराम करेगी और रिश्ते की पवित्रता उनके अपमानजनक और विनाशकारी कृत्यों से नष्ट हो गई। ऐसी स्थिति में, उसे उदार छूट की मांग करने की स्वतंत्रता देना, ताकि उसकी आजीवन कारावास में कटौती की जा सके, न्याय के उपहास से कम नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 को 03.02.2013 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ संशोधित किया गया था। संशोधित प्रावधान अब बहुत अलग है। भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 376 (2) का विस्तार किया गया है और वर्तमान में इसमें खंड (ए) से (एन) शामिल हैं। नई धारा 376 (2) (च) में कहा गया है कि जो कोई भी, महिला का रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक या महिला के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति में व्यक्ति होने के नाते, ऐसी महिला के साथ बलात्कार करता है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो 10 साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, जिसका अर्थ होगा उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, धारा 376 (3) को कानून की पुस्तक में जोड़ा गया है और इसमें प्रावधान है कि जो कोई भी 16 साल से अंतर्गत उम्र की महिला के साथ बलात्कार करता है, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो 20 साल से अंतर्गत नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा विधि की पुस्तक में लाई गई नई धारा 376 ए, 376 डी और 376 ई और आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा उसमें डाली गई नई धारा 376 एबी, 376 डीए और 376 डीबी, दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा को बढ़ाने का प्रावधान करती है।

12. हाथ में मामले में, नई धारा 376 (2) (एफ) और 376 (3) भारतीय दंड संहिता सी. लागू होती अगर अपराध 03.02.2013 के बाद किया गया होता। हालाँकि, यह एक स्वीकृत

तथ्य है कि अगस्त, 2012 के महीने के दौरान बच्चे के पिता द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था, इन संशोधित प्रावधानों की कोई भूमिका नहीं होगी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 (1) अपीलार्थी के अयोग्य बचाव के लिए आएगा, क्योंकि इसमें प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को उससे अधिक दंड के अधीन नहीं किया जाएगा जो अपराध के समय लागू विधि के अंतर्गत लगाया गया हो सकता है। इस स्तर पर यह कहने के लिए पर्याप्त है कि यह न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि सांसदों ने कुछ परिस्थितियों में बलात्कार के अपराध के लिए अधिक कठोर सजा का प्रावधान करना उचित और उचित समझा और यह स्पष्ट किया कि जब उन स्थितियों में अपराध के अपराधी पर आजीवन कारावास लगाया जाता है, तो ऐसा अपराधी अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए जेल में रहने के लिए उत्तरदायी होगा।

/

/

/

489

रविंदर सिंह बनाम राज्य सरकार। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र [संजय कुमार, जे.] ए.

/

13. विशेष रूप से, स्वामी श्रद्धानंद (ऊपर) और वी. श्रीहरण (ऊपर) में विशेष श्रेणी की सजा के संबंध में निर्धारित विधि उन मामलों के संदर्भ में था जहां मौत की सजा दी गई थी और उसे आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया था। तब यह प्रश्न उठेगा कि क्या उच्च न्यायालय ों और इस न्यायालय की 14 वर्ष से अधिक की आजीवन कारावास की अवधि निर्दिष्ट करने वाली संशोधित सजा देने की शक्ति का उपयोग उन मामलों में भी किया जा सकता है जहां मौत की सजा नहीं दी गई है। संदर्भ दिया जा सकता है

/

गौरी शंकर बनाम पंजाब राज्य 5, जिसमें विचारण विचारण न्यायालय ने एक

आजीवन कारावास की सजा, यह निर्देश देते हुए कि यह दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए होगी। यह देखते हुए कि ऐसा निर्देश विचारण न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है, इस न्यायालय ने यह आदेश देना उचित समझा कि उस मामले में आजीवन कारावास की सजा का अर्थ दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन तक होना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें मौत की सजा दी गई थी और उसके बाद उसे आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया था, जैसा कि स्वामी श्रद्धानंद (उपरोक्त) और

/

वी. श्रीहरण (ऊपर)। इसी तर्ज पर, शिव कुमार @शिवा @शिवमूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य 6 में, यह न्यायालय एक मामले पर विचार कर रहा था।

/

भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302 से संबंधित मामला, जिसमें विचारण विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को अपने शेष जीवन के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। यह देखते हुए कि मृत्युदंड के विकल्प के रूप में कारावास की एक विशिष्ट अवधि या दोषी के जीवन के अंत तक का प्रावधान करने वाली संशोधित सजा देने की शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, न कि किसी अन्य न्यायालय द्वारा, वी. श्रीहरण (उपरोक्त) में निर्धारित विधि के संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा:

/

“12. किसी मामले में, मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि का आदेश पारित करते समय, विचारण विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि मामला 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामला नहीं है। ऐसी स्थिति में, किए गए अपराध के लिए निर्धारित सजा के आधार पर, निचली अदालत भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 53 में विशेष रूप से प्रदान की गई अन्य सजा दे सकती है। हालांकि, जब एक संवैधानिक न्यायालय को पता चलता है कि हालांकि कोई मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामले की श्रेणी में नहीं आता है, तो अपराध की गंभीरता और प्रकृति और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों को देखते हुए, वह हमेशा एक निश्चित अवधि की सजा दे सकता है ताकि आरोपी को वैधानिक छूट आदि का लाभ उपलब्ध न हो। वी. श्रीहरण के मामले में बहुमत के विचार को इस प्रकार नहीं माना जा सकता है -

/

/

5 (2021) 3 एससीसी 380

6 2023 की आपराधिक अपील संख्या 942 का निर्णय 28.03.2023 = 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 345

/

490

/

[2023] 4 एस सी आर।

इसका मतलब है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग संवैधानिक न्यायालयों द्वारा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि मौत की सजा को कम करने का प्रश्न न हो। संविधान पीठ ने

अपने फैसले के पैराग्राफ 104 में जो निर्णय दिया है, वह इस निष्कर्ष का अच्छी तरह से समर्थन करता है, जो इस प्रकार है:

"104. इसके अलावा, ऐसे अधिकांश मामलों में जहां निचली विचारण न्यायालय द्वारा मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है, संबंधित दोषी को इस विचारण न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से आगे की अपील दायर करके इस तरह के फैसले का परीक्षण करने का अवसर मिलेगा। प्रचुर सावधानी के साथ और संहिता के निर्धारित विधि और आपराधिक न्यायशास्त्र के अनुसार, हम यह दावा कर सकते हैं कि ऐसे निर्दिष्ट गंभीर अपराधों के अपराध के प्रारंभिक निष्कर्ष और मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा के बाद, जब उच्च न्यायालय की खंड पीठ की जांच के दायरे में आता है, तो यह केवल उच्च न्यायालय है जो दंड संहिता के अंतर्गत शक्ति प्राप्त करता है, जो दोषी के पूरे जीवन के लिए या 14 साल से अधिक की किसी विशिष्ट अवधि के लिए, जैसे 20, 30 या उससे अधिक के लिए, उक्त सजा को बदलने के लिए मृत्युदंड और वैकल्पिक सजा निर्धारित करता है। "

/

/

/

/

13. इसलिए, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ऐसे मामले में भी जहां मृत्युदंड नहीं लगाया गया है या प्रस्तावित नहीं है, संवैधानिक न्यायालय हमेशा यह निर्देश देकर एक संशोधित या निश्चित अवधि की सजा देने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं कि आजीवन कारावास, जैसा कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 53 में "द्वितीय" द्वारा विचार किया गया है, चौदह वर्ष से अधिक की एक निश्चित अवधि का होगा, उदाहरण के लिए, बीस वर्ष, तीस वर्ष और इसी तरह। Cr.P.C की धारा 433A के अधिदेश को देखते हुए निश्चित सजा 14 साल से कम की अवधि के लिए नहीं हो सकती है।

/

ऐसा मानते हुए, इस विचारण न्यायालय ने विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित सजा को संशोधित किया और निर्देश दिया कि अपीलार्थी को आजीवन कारावास से गुजरना चाहिए और 30 साल की वास्तविक सजा पूरी होने तक उसे रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

/

14. उल्लेखनीय है कि गौरी शंकर (ऊपर) और शिव कुमार (ऊपर) दोनों ऐसे मामले थे जिनमें विचारण न्यायालय ए को मौत की सजा दे सकती थी।

रविंदर सिंह बनाम राज्य सरकार। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र [संजय कुमार, जे.] ए.

सजा परिस्थितियों में दी जानी चाहिए थी, क्योंकि वे मामले भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत उत्पन्न हुए थे। तब यह प्रश्न उठेगा कि क्या आजीवन कारावास की संशोधित सजा पारित करने की शक्ति उच्च न्यायालय ों और इस न्यायालय के लिए उन मामलों में भी उपलब्ध होगी जहां विधि मौत की सजा को दंड में से एक के रूप में निर्धारित नहीं करता है और अधिकतम सजा को आजीवन कारावास तक सीमित करता है, जैसा कि मामले में है। इस संदर्भ में, हम ध्यान दे सकते हैं कि अवलोकन

/

स्वामी श्रद्धानंद (ऊपर) और वी. श्रीहरण (ऊपर) में स्पष्ट रूप से बनाया गया

ऐसी शक्ति के अस्तित्व को इंगित करता है, हालांकि न्यायालय ने ऐसा घोषित करना बंद कर दिया और उन मामलों में पारित विशेष श्रेणी के वाक्यों को मौत की सजा के प्रतिस्थापन से जोड़ा। जैसा कि स्वामी श्रद्धानंद (ऊपर) में बताया गया है, न्यायालय मुख्य रूप से विस्तारित विकल्प का सहारा लेगा क्योंकि 14 साल के कारावास की आजीवन कारावास की सजा किसी भी मामले में कोई कारावास नहीं हो सकती है। यह अवलोकन आजीवन कारावास की सभी सजाओं को अपने दायरे में लेने के लिए काफी व्यापक है। इसी तरह, वी. श्रीहरण (उपर्युक्त) में, बहुमत की राय में कहा गया है कि दंड संहिता में कोई निषेध नहीं है, जहां मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है, कि उक्त जीवन अवधि के भीतर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए कारावास नहीं लगाया जा सकता है और जब आजीवन कारावास का अर्थ दोषी का पूरा जीवनकाल है, तो जिस न्यायालय को उक्त सजा देने का अधिकार है, उसे भी उस अवधि को निर्दिष्ट करने की शक्ति होगी, जिस तक अपराध की प्रकृति के अनुरूप उक्त आजीवन कारावास की सजा बनी रहना चाहिए। एक बार फिर, यह आदेश आजीवन कारावास की सभी सजाओं के लिए उपयुक्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुमत की राय ने इसे मृत्युदंड से भी जोड़ा, यह देखते हुए कि इस तरह की विशेष श्रेणी की सजा को मृत्युदंड के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है। हाल ही में, शिव कुमार (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने पुष्टि की कि ऐसे मामले में भी जहां मृत्युदंड 'प्रस्तावित' नहीं है, संवैधानिक न्यायालय ों के पास संशोधित या निश्चित अवधि की सजा देने की शक्ति होगी।

/

/

/

/

15. उपरोक्त अवलोकन उन मामलों में एक ही सिद्धांत की प्रयोज्यता को प्रकट करते हैं जहां विधि द्वारा निर्धारित अधिकतम सजा आजीवन कारावास है और आगे कुछ नहीं है। ऐसे मामलों में भी, इस तरह की सजा पाए दोषियों को राज्य द्वारा उदारतापूर्वक प्रदान की गई छूट और इसी तरह के अन्य लाभों का लाभ उठाने की अनुमति देना और उनकी आजीवन कारावास की सजा को घटाकर केवल 14 साल करना न्याय की पैरोडी होगी। इसलिए हमारी यह सुविचारित राय है कि स्वामी श्रद्धानंद (ऊपर) और वी. श्रीहरण (ऊपर) में 14 वर्ष से अधिक की आजीवन कारावास की विशेष श्रेणी की सजा के संबंध में दी गई विधि उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय के लिए उपलब्ध होगी।

/

/

492

/

[2023] 4 एस सी आर।

उन मामलों में भी जहां अधिकतम सजा, विधि में अनुमेय और विधिवत अधिरोपित, आजीवन कारावास है और आगे कुछ नहीं है। हालांकि, हमें यह जोड़ने में जल्दबाजी करनी चाहिए कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग गंभीर मामलों तक ही सीमित होना चाहिए, जहाँ आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी को 14 साल की अवधि के बाद रिहाई की अनुमति देना ऐसे दोषी पर लगाए गए दंड को तुच्छ बनाने के समान होगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए ठोस कारण दर्ज किए जाने चाहिए और ऐसी शक्ति का प्रयोग आकस्मिक रूप से या केवल पूछने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

/

16. हाथ में मामले में, अपीलार्थी को सबसे राक्षसी और भयानक अपराधों में से एक का दोषी पाया गया, अर्थात्, अपनी ही बेटी का शारीरिक उल्लंघन, जो जवानी के पहले दौर में भी नहीं थी। यदि वह केवल 14 साल जेल में रहने के बाद रिहा हो जाता है, तो उसकी बेटी के जीवन में उसका संभावित पुनः प्रवेश, जबकि वह अभी भी बीस की उम्र में है, उसे और अधिक आघात का कारण बन सकता है और उसका जीवन कठिन बना सकता है। पर्याप्त लंबी अवधि के लिए उसकी कैद न केवल यह सुनिश्चित करेगी कि वह अपने न्यायपूर्ण रेगिस्तान प्राप्त करे, बल्कि अपनी बेटी को बसाने और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने के लिए अधिक समय और परिपक्वता भी प्रदान करेगी, भले ही उसके खलनायक पिता को रिहा कर दिया जाए। इसलिए, हमारी राय है कि यह निश्चित अवधि के आजीवन कारावास की संशोधित विशेष श्रेणी की सजा

देने के लिए इस न्यायालय में निहित शक्ति के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त और योग्य मामला है।
जैसा कि बताया गया है।

/

/

इस न्यायालय द्वारा मदन गोपाल कक्कड़ बनाम। नवल दुबे और

/

अन्य 7, न्याय की तलवार रखने वाले न्यायाधीशों को उस तलवार का उपयोग पूरी गंभीरता से और अंत तक करने में संकोच नहीं करना चाहिए, यदि अपराध की गंभीरता की आवश्यकता है।

17. न्याय के उद्देश्यों को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाएगा यदि अपीलार्थी का आजीवन कारावास कम से कम 20 साल के वास्तविक कारावास के लिए है, इससे पहले कि वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या किसी अन्य अधिनियमित विधि के प्रावधानों के अंतर्गत छूट की मांग कर सके। हम, तदनुसार, ऐसा निर्देश देते हैं। जुर्माने का अधिरोपण और भुगतान न करने पर कारावास की पुष्टि होगी।

/

अपील का निपटारा उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

/

अंकित ज्ञान

अपील का निपटारा किया गया।

(सहायक: महेंद्र यादव, एलसीआरए)

/

7 (1992) 3 एससीसी 204